



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29092021-230022
CG-MH-E-29092021-230022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]
No. 414]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना

मुंबई, 16 सितंबर, 2021

कोरम

- (i) श्री. टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री. सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

शुद्धिपत्र

(सितम्बर 2021 के 15 वें दिन को पारित)

सं. टीएएमपी/60/2020-एसपीएमपी (केओपीटी)—इस प्राधिकरण ने हल्दिया गोदी परिसर (एचडीसी) में गोदी के भीतरी जोन में ग्राहकों को आवंटित भूमि पर क्षतिपूर्ति प्रभारों के साथ-साथ लाइसेंस शुल्क के परिहार के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन (एसपीएमपी) [पूर्ववर्ती कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी)] से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक आदेश संख्या टीएएमपी/60/2020-एसपीएमपी (केओपीटी) दिनांक 16 मार्च 2021 पारित किया था। यह आदेश राजपत्र संख्या 162 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III खण्ड 4) में 12 अप्रैल 2021 को अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त राजपत्रित अधिसूचना के अंग्रेजी रुपान्तरण में मुद्रण संबंधी त्रुटि ध्यान में आयी है। अंग्रेजी रुपांतर में विनिर्दिष्ट विषयगत अधिसूचना के विवरण के नीचे दर्शाए गए मामला संख्या (उक्त राजपत्रित अधिसूचना के पृष्ठ

संख्या 20 पर) को “टीएएमपी/53/2020-डीपीटी” के स्थान पर “टीएएमपी/60/2020-एसपीएमपी (केओपीटी)” पढ़ा जाए और पत्तन का नाम “विशाखापट्टनम पत्तन न्यास” के स्थान पर “श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन” पढ़ा जाए।

टी.एस. बालसुब्रमनियन सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन-III/4/असा./279/2021-22]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th September, 2021

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

CORRIGENDUM

(Passed on this 15th day of September, 2021)

No. TAMP/60/2020-SPMP (KOPT).— This Authority had passed an Order No. TAMP/60/2020-SPMP (KOPT) dated 16 March 2021 disposing the proposal received from Syama Prasad Mookerjee Port (SPMP) [Erstwhile Kolkata Port Trust (KOPT)] for allowing remissions on the compensation charges as well as on the license fees on the Land allotted to the customers in the Dock Interior Zone at Haldia Dock Complex (HDC). This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 12 April 2021 vide Gazette No.162.

2. Printing errors have been observed in the English Version of the said Gazette Notification. The Case No. mentioned below the subject Notification details in the English Version (at page no. 20 of the above said Gazette Notification) may be read as “TAMP/60/2020-SPMP (KOPT)” instead of “TAMP/53/2020-DPT” and Name of the Port may be read as “Syama Prasad Mookerjee Port” instead of “Visakhapatnam Port Trust”.

T.S. BALASUBRAMANIAN Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./279/2021-22]